

तारीख हुकम

31.07.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी सम्मन तलबाना पेश करने हेतु अवसर चाहते है। वकील प्रार्थी को सम्मन तलबाना पेश करने हेतु पूर्व में 100 अवसर दिये जा चुके है परन्तु वकील प्रार्थी ने बावजूद हिदायतों के भी आज तक सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट को नॉन कम्पलाईन्स (Non Compliance) में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

32

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमधोपुर (सीकर)

